कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

श्रीमती गायत्री आमेटा, वरिष्ठ व्याख्याता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोवर्धन विलास, उदयपुर जन्मतिथि 21.12.1960 को निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक **15.06.2020 से 04.07.2020** *तक 20* **दिवस** की यूरोप के विभिन्न स्थानो यथा 'यू0के0, फ्रास, बेल्जियम, नीदरलेण्ड, जर्मनी, स्वीजरलेण्ड, ऑस्ट्रीया, इटली, द0 वेटिकन एवं प्रिन्सीपलीटी ऑफ लिचेनटेनस्टिन (यूरोप) *जाने की अनुमति निर्देशानुसार निम्नाकिंत शर्तो के* अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

1. कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेगें।
2. कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नही ठहरेगें, अवकाश समाप्ति पश्चात अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेगें। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एंव उसके विरूद्व आर.एस.आर. 1951 के नियम 82 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी
3. एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्वि नही की जावेगी।
4. विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीक्रति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेवे :–
   (1) कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नही होगा।
   (2) कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एंव महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तारंण पूर्ण से कर दिया गया है।
   (3) कार्मिक के विरूद्व तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नही है।
   (4) कार्मिक के विरूद्व तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधिन नही है।
6. विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
7. विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बधित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर आदि सूचित करेगें।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दोरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नही किया जावेगा एंव न ही राजकीय स्त्रोत्र से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जावेगी।
9. विदेश यात्रा के दोरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नही किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
11. विदेश यात्रा के दोरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नही की जावेगी।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/माध्य/संस्था/ए–5,6,8/विदेश यात्रा/2019/145 दिनांक : 30-01-2020

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा उदयपुर संभाग, उदयपुर
3. मुख्य जिला अधिकारी, उदयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय–प्रारम्भिक शिक्षा) उदयपुर
5. एसीपी, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. प्रधनाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोवर्धन विलास, उदयपुर
7. श्रीमती गायत्री आमेटा, वरिष्ठ व्याख्याता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोवर्धन विलास, उदयपुर

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर